

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-1948 / FP/UK/ROAD/15216/2015 :देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

**विषय:**—जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.887 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।


महोदय,

सचिव, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की विधिवत् स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त स्वीकृति की प्रति अंग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	जनपद एवं परियोजना का नाम	ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या	विधिवत् स्वीकृति संख्या एवं दिनांक
1.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.887 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।	FP/UK/ROAD/15216/2015	92/X-23/2(119)/2017 दिनांक 07-02-2023

संलग्न—यथोपरि

मवदीय,

  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या: ९२ /X-3-23/2(119)/2017

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,  
इन्दिरा नगर, देहरादून।

कार्यालय

आप्र प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

पंजीयन संख्या ४२  
पत्र संख्या ३-२-२३  
दिनांक ०३-०२-२३

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: ०७ फरवरी, २०२३

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत हनुमान मंदिर से  
स्थालसी गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित ०.८८७ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी  
कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1652/FP/UK/ROAD/152162015,  
दिनांक 10 जनवरी, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश  
संख्या-857/X-4-17/01(119)/2017 दिनांक 25.04.2017 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण  
अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड,  
जौनपुर अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्थालसी गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित ०.८८७  
हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन किये जाने की  
विधिवत् स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा  
वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा  
व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

सं. ३८ | उमा दी टिहरी  
उमा - को - के ।

३८०९०८० | नो ।  
२-२-२३

3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०पी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक वियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तादर्थ निर्धारित प्रतिकरं, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक सामग्री, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना/सङ्केत के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा० उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरपतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं

पहुँचाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती बनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्द्धि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथा सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा रथान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एनोपीओ क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रत्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

054/2023

19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्याव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निररत करने का अधिकार सुरक्षित है।

2- तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**Signed by Vijay Kumar**

**Yadav**

**Date: 07-02-2023 15:12:43**

मवदीय,

(विजय कुमार यादव)  
सचिव ।

संख्या: 92 (1) / X-3-23/01(119)/2017 तदनिर्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।
8. गार्ड फाईल।

**Signed by Satya Prakash**

**Singh**

**Date: 07-02-2023 15:18:26**

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव ।